रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1974/ज्येष्ठ 7, 1896
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1974/JYAISTHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th May 1974

SUBJECT.—*Terms and conditions for licensing Public Sector and Private Sector imports under the Belgian Government Credit, 1973-74.*

No. 72-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the insurance of import licences financed under the Belgian Government Credit as given in Appendix I and II to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX I

CONDITIONS FOR LICENSING PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE BELGIAN GOVERNMENT CREDIT—1973-74.

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C&F basis must be placed on the Belgian suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. The term firm order means purchase orders placed by the Indian Licensee on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier. If firm orders cannot be finalised within the time limit of four months the licencee should submit to the Chief Controller of Imports & Exports (CCI&E) or other licensing authorities as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be consider-

ed on the merit of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of import licence such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (W.E. III Section), Ministry of Finance. The licence codes "S" and "BE" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only goods of Belgian origin are eligible for being financed under this credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Belgian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraph 6—10 below.

4. The contracts of supply between the Indian Importer and the Belgian Supplier should provide for the import being financed out of the Belgian Government credit in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and *also incorporate a clause to this effect in the supply contract.* Moreover approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

5. The value of the contract should be exposed in Belgian Frances The contract should normally provide for cash payment out of the Belgian Government Credit on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contracts are concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs W.E. III Section to issue a Letter of Authority for payments to the Belgian Suppliers. This request should be accompanied by six photostat/certified copies of the contract/supply order. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs alongwith the contracts/supply order—

(i) Details of the Import Licence—

(a) Number.....

(b) Date of issue.....

(c) Value.....

(ii) Name and Address of the Importer.....

(iii) Name and Address of the Belgian Suppliers.....

(iv) Value of the contract/order in Belgian Francs.....

(v) Short description of the goods to be imported.....

(vi) Time for delivery (A schedule indicating probable dates and amounts of payments to the supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading Invoices, certificate of Origin, etc. which the National Bank of Belgium should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.....

(viii) Indian Agents' Commission, if any, included in the contract (Amount or percentage to be indicated).

(ix) Branch of any Nationalised Bank to which the original documents negotiated should be sent by the National Bank of Belgium.

(x) Date upto which the letter of authority to the National Bank of Belgium should be valid.

(xi) Special instructions, if any.....

7. On receipt of the copies of the contract/supply order, and the information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Belgian Ministry of Foreign Affairs and External Trade together with number and date of issue of the import licence by the appropriate import licensing authority in India and the nature of goods to be supplied and also issue a letter of authority to the National Bank of Belgium (in form at Annexure I) authorising payment to the suppliers against shipping documents.

8. Within 10 days of receipt of shipping and other documents from the National Bank of Belgium, Brussels the importers' Bank shall arrange to deposit into Government account as indicated in para 9 below, the rupee equivalent of the amount disbursed to the suppliers together with a fixed charge of five per cent of the amount paid to supplier to cover incidental and commitment charges *Calculated at* the rate of conversion between BF and Rupee prevailing on the date of payment to the Belgian Suppliers alongwith interest at 6 per cent p.a. for the period from the date of payment to the Belgian Suppliers upto the date on which rupee equivalents are deposited. For this purpose the BF payments will have to be converted into Rupees as per instructions contained in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72. Any change in this rate of conversion will be notified through Public Notice as and when necessary. It *will be the responsibility of the bankers to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the parties.* The importer should also ensure that the amount are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

9. The deposit envisaged in para 8 may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or the amount may be remitted through a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is "T-Deposit and Advances-Part II—Deposits not bearing interest—Direct Payment Procedure" under detailed head "Deposits for cost of supplies and equipment obtained under VIII Belgian Credit for 1973-74".

In the treasury challans the following particulars should invariably by furnished:

(a) Ministry of Finance letter of authority No. & Date—Belgian Govt. Credit 1973-74.

(b) Amount of foreign currency in respect of which rupee deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

10. One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by Importers' Bank to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi-110001 alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the Belgian National Bank.

11. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

12. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the supplier.

13. The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under VIIIth Belgian Credit for B.F. 250 million.

14. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

APPENDIX II

CONDITIONS FOR LICENSING PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE BELGIAN GOVERNMENT CREDIT—1973-74

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C&F basis must be placed on the Belgian suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. The term firm order means purchase orders placed by the Indian licensee on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier. If firm orders cannot be finalised within the time limit of four months the licensee should submit to the Chief Controller of Imports & Exports (CCI&E) or other licensing authorities as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If, however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (W.E. III Section), Ministry of Finance. The licence codes "S" and "BE" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only goods of Belgian origin are eligible for being financed under this credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Belgian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraph 6—10 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Belgian Supplier should provide for the import being financed out of the Belgian Government Credit in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and *also incorporate a clause to this effect in the supply contract.* Moreover, approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

5. The value of the contract should be expressed in Belgian Francs. The contract should normally provide for cash payment out of the Belgian Government credit on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contracts are concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. III Section to issue a Letter of Authority for payments to the Belgian suppliers. This request should be accompanied by six photostat/certified copies of the Contract/Supply order and Bank Guarantee as required in paragraph 8 hereunder. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs alongwith the contracts/supply order—

(i) Details of the Import Licence—

(a) Number.....

(b) Date of issue.....

(c) Value.....

(ii) Name and Address of the Importer.....

(iii) Name and Address of the Belgian Suppliers.....

(iv) Value of the contract/order in Belgian Francs.....

(v) Short description of the goods to be imported.....

(vi) Time for delivery (A schedule indicating probable dates and amounts of payments to the supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading Invoices, Certificate of Origin, etc. which the National Bank of Belgium should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.

(viii) Indian Agents' Commission, if any, included in the contract (Amount or percentage to be indicated).

(ix) Name of the Importer's Bank in India.....

(x) Special instructions, if any.....

7. On receipt of the copies of the contract/supply order the Bank Guarantee and the Information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Belgian Ministry of Foreign Affairs and External Trade together with number and date of issue of the import licence by the appropriate import licensing authority in India and the nature of the goods to be supplied and also issue a letter of authority to the National Bank of Belgium (in form at Annexure I) authorising payment to the supplier against shipping documents.

8. Within 10 days of receipt of shipping and other documents from the National Bank of Belgium, Brussels the importers' Bank shall arrange to deposit into Government account in indicated in para 9 below, the rupee equivalent of the amount disbursed to the Suppliers together with a fixed charge of five per cent of the amount paid to supplier to cover incidental and commitment charges *Calculated* at the rate of conversion between BF and Rupee prevailing on the date of payment to the Belgian Suppliers alongwith interest at 6 per cent p.a. for the period from the date of payment to the Belgian Suppliers upto the date on which rupee equivalents are deposited. For this purpose the BF payments will have to be converted into Rupees as per instructions contained in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72. Any change in this rate of conversion will be notified through Public Notice as and when necessary. The importer should furnish a bank guarantee from an approved schedule bank in the form in Annexure II agreeing to deposit the amount. The footnote under the bank guarantee form should be noted for strict compliance. *It will be the responsibility of the bankers to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the parties.* The importer should also ensure that the amount are correctly deposited into Govt. account before taking delivery of the documents from their bankers.

9. The deposit envisaged in para 8 may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India Tis Hazari, Delhi or the amount may be remitted through a demand draft drawn on and in favour of the Agent State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No 233-ITC(PN)/68, dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971 The Head of Account to be credited is "T-Deposit and Advances—Part II—Deposits not bearing interest—Direct Payment Procedure" under detailed head "Deposits for cost of supplies and equipment obtained under VIII Belgian Credit for 1973-74.

In the treasury challans, the following particulars should invariably be furnished.

(a) Ministry of Finance letter of authority No. & Date..... Belgian Government credit 1973-74.

(b) Amount of foreign currency in respect of which rupee deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interests is to be calculated for the period from the date of payment to the suppliers upto the dae of depost of rupee equivalents into Govt. account).

10. One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari Delhi-6 should be sent by Importers Bank, which has issued the bank guarantee to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi110001 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes, received from the Belgian National Bank.

11. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

12. After the imports under a licence are completed and the Importer's bankers have deposited into Govt. Account all the amounts due, details of the import received and the rupee deposite made should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit-Ministry of Finance, Deptt. of Economic Aairs, New Delhi-110001 in the proforma prescribed in Annexure III to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantees furnished by the importers wherever necessary. The importers will also be responsible to furnish a utilisation reports in the form in Annexure IV quartely to the Ministry of Finance Deptt. of Economic Affairs, W.E. III Section and the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs New Delhi-110001.

13. It should be understood that the Government of India, will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the supplier.

14. The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under VIIIth Belgian Credit for B.F. 250 million.

15. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

No.

GOVERNMENT OF INDIA

(Department of Economic Affairs)

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the th May, 1974

To

The National Bank of Belgium,

Brussels.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF INDIA AND BELGIUM DATED THE.....FOR THE CREDIT OF BELGIAN FRANCS.

Letter of Authority No.

Sir,

In accordance with the terms and conditions of the above Credit Agreement, we hereby request you irrevocably to pay an amount of BF.....(Belgian Francs.....) (inwords) to.....)

.....

(Supplier/the name of the suppliers' Bank, with Account when payment is to be made to the Suppliers' Bankers Number).....against the delivery of the following documents:—

Invoice	..	copies.
Bill of Lading (with full details)	..	copies.
Insurance Policy, if any, etc.	..	copies.

covering the value of Invoice No.....dated.....
(Photostat copy attached) relating to Contract No.....
dated.....with.....(Indian importer) for the supply of.....

2. After payment, the original set of the above documents (in duplicate/triplicate etc.) may kindly be forwarded direct to.....
(Importers' Bankers in India).

3. The amount paid may please be debited to our Account 'P. No..... opened in the frame of the above-mentioned Credit Agreement and necessary debit advice (in duplicate) forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, New Delhi duly indicating this Letter of Authority number.

4. This authorisation will remain valid upto the.....day of.....197 .

Yours faithfully,

(Designation)

Copy to.....(The Importer's Bank). They should ensure that the rupee equivalent calculated at the prevailing composite rate which is currently BF 1=Rs. 0.162 as also the additional charge of 5 per cent of the amount so arrived at, together with interest thereon from the date of payment to the suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importers.

ANNEXURE II

Guarantee Bond

(*To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Belgian Government Credit*, 1973-74)

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Belgian Francs for the Import of..... by (hereinafter called the 'importer') under the terms and conditions of the Belgian Government Credit 1973-74 and in pursuance of Import Licence No..... issued on.....In favour of the Importer against the above agreement, we.....(Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursement made by the National Bank of Belgium converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time *within ten days* of the receipt of advice of payment for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with the additional charges of 5 per cent of the above deposits to cover incidental and commitment charges, as well as as interest at the rate of six per cent per annum on the amounts disbursed to the supplier and the additional charges of 5 per cent from the date of payment to the Belgian supplier to the date of payment of rupee equivalent for credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the National Bank of Belgium will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the.....(Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs..... or any part thereof for the time being due and payable by the Importer together with the additional fixed charge of 5 per cent (five per cent) of the above deposits to cover incidental and commitment charges. The decision of the Government as to any default in the said payment by the Importer or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us.....(Bank), shall be final and binding on us.....(Bank).

3. We,.....(Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of charge in the rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change).

4. We,.....(Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that

it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the Importer or the.....(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the Importer and either to enforce payment by the Importer of any of the amounts the payment whereof is intended to be hereby secured and the.....(Bank), shall not be released from its liability under the guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government, to the Importer or by any matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provisions, have the effect of so releasing the.....(Bank), from its such liability.

6. We.....(Bank) undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. We.....(Bank) hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notices No 15-ITC(PN)/72 dated the 28th January, 1972 and No 108-ITC(PN)/72 dated 21st July 1972 and such other Public Notices that may be issued from time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.....(plus interest and commission charges if any, not expected to exceed one per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till the..... day of(month) 19 . Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter *i.e.* upto all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated, the.....day of

For.....(Bank).

Accepted for and on behalf of the President of India by Shri.....

.....

Name & Designation

Signature.....

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

NOTE.—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

ANNEXURE III

Proforma

1. Name and full address of the Importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.
2. The import licence number and date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.
4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance:
 (a) Number and date of the Letter of/Authority
 (b) Amount of the Letter of/Authority (in BF)
5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made:
 (a) Name of supplier(s).
 (b) Amount in (BF) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.
 (c) Date of payment to the supplier by the Belgian National Bank.

(d) Amount of rupee deposit:—

(i) Rupee equivalent of BF amount paid to the supplier @ 1 BF

(ii) Interest paid.

(iii) Period for which the interest has been calculated from..... to.....

(iv) Total deposit made.

(v) Date and place of deposit.

(vi) Number and Date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Chalan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand draft, the number, date, and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (in BF) against each Letter of Authority:—

7. A certificate that the balance indicated in 6 above has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signature)

ANNEXURE IV

Statement showing quarterly report on utilisation under 8th Belgian Credit.

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Letter of Authority No. and date.
5. Amount of letter of Authority.
6. Date of Validity of Letter of Authority.
7. Value of orders placed.
8. Amount utilised during the quarter BF
9. Total amount utilised BF
10. Total amount deposited into Government Account. Rs.
11. Payment expected to be made during the subsequent quarters (give figures—(Quarter wise).
12. Surrenders, if any.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

विषय.—बेल्जियम सरकार क्रेडिट 1973–74 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आयातों के लिए लाइसेंस दिए जाने से संबंधित शर्तें ।

बेल्जियम सरकार क्रेडिट 1973–74 के अधीन वितदान किए गए आयात लाइसेन्सों है, निगर्मन को नियंत्रित करने की शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई के सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट 1

बेल्जियम सरकार ऋण, 1973–74 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने से सम्बन्धित शर्तें ।

1. लाइसेंस 12 महीने की वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा किन्तु पक्के आदेश लागत बीमा भाड़ा/लागत भाड़ा के आधार पर बेल्जियन संभरकों को अवश्य दे दिए जाने चाहिए और उनकी प्रतियां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग को आयात लाइसेंस के जारी किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर भेज दी जानी चाहिए । पक्के आदेश का तात्पर्य उन क्रय आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिए दिए गए हैं और जो परवर्ती से पुष्टिकरण द्वारा विधिवत् समर्थित है या क्रय संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित है । यदि पक्के आदेश 4 मास की सीमा अवधि के भीतर नहीं पूरे किए जाते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आदेश देने में समय वृद्धि के लिए जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (सी० सी० आई० एण्ड ई०) को या अन्य प्राधिकारियों को प्रस्ताव भेजे और इसके साथ में औचित्य और विवरण भेजे कि प्रारंभिक वैध अवधि के भीतर आदेश देने का कार्य नहीं पूरा किया जा सका । आदेश देने के लिए अवधि वृद्धि के ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक और 2 मास तक की वृद्धि की स्वीकृति दे सकता है। लेकिन, यदि लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 मास से अधिक अवधि वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसा प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 शाखा) वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए । लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में लाइसेंस कोड 'एस' और 'बीई' का संकेत होना चाहिए । रुपये जमा करते समय भारतीय बैंक को भेजने के लिए सभी पोत लदान प्रलेखों में सही लाइसेंस/कोड के साथ साथ 'एस' प्रपत्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. इस ऋण के अन्तर्गत केवल बेल्जियम मूल के माल ही अर्थयुक्त किए जाने योग्य हैं ।

3. लाइसेंस भारत से प्रेषण के लिए वैध नहीं होगा । बेल्जियम संभरकों को भुगतान केवल नीचे की कंडिका 6–10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है ।

4. भारतीय आयातक और बेल्जियम संभरक के बीच संभरक की संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि आयात इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेल्जियम सरकार ऋण से अर्थयुक्त किए जाए और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । संभरकों को इस शर्त की सूचना देते समय आयातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए और संभरण संविदा में इस संबंध में एक धारा भी शामिल कर लेनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग की बिना पूर्व सहमति लिए रद्द नहीं किए जाने चाहिए ।

5. संविदा मूल्य को बेल्जियम फ्रैंक में व्यक्त किया जाना चाहिए । पोलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर संविदा में सामान्यतः बेल्जियम सरकार ऋण से नकद भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । किसी प्रथागत गारंटी निष्पादन के लिए संभरक को बैंक गारंटी भेजने के लिए कहा जा सकता है ।

6. संविदाओं के सम्पन्न होने के शीघ्र बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, डब्ल्यू ई-3, अनुभाग को बेल्जियम संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र

जारी करने के लिए आवेदन करें । इस आवेदन के साथ संभरण आदेश की छः फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां भेजनी चाहिए । संविदा संभरण आदेश के साथ निम्नलिखित सूचना भी अर्थकार्य विभाग को भेजनी चाहिए :—

1. आयात लाइसस का ब्यौरा :—
 (क) संख्या :
 (ख) जारी करने की तारीख
 (ग) मूल्य
2. आयातक का नाम और पता :
3. बेल्जियम संभरक का नाम और पता
4. बेल्जियम फ्रैन्क में संविदा/आदेश स०
5. आयातित किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण
6. माल छुड़ाई के लिए अवधि (संभरकों को भुगतान करने की संभावित तारीख और धनराशि का संकेत करने वाली एक अनुसूची भी दी जानी चाहिए) ।
7. प्रत्येक प्रलेख की अपेक्षित प्रतियों के साथ पोतलदान का विस्तृत विवरण जैसे लदान पत्र बीजक, उद्गम का प्रमाण आदि की सूची जिसकी मांग भुगतान से पहले बेल्जियम सरकार को राष्ट्रीय बैंक को संभरकों से करनी चाहिये ।
8. संविदा में शामिल किया गया भारतीय संभरक का यदि कोई कमीशन हो (जिसकी धनराशि या प्रतिशत का संकेत किया जाना चाहिए)।
9. राष्ट्रीयकृत बैंक की उस शाखा का नाम जिसे बेल्जियम नेशनल बैंक द्वारा मूल दस्तावेज (पराक्राम्य) भेजे जाने चाहिये ।
10. किस तारीख तक बेल्जियम बैंक के लिए प्राधिकार पत्र वैध किया जाना चाहिए ।
11. विशेष अनुदेश, यदि कोई हो ।

7. संविदा संभरण आदेश की प्रतियों और उपर्युक्त कंडिका 6 में अपेक्षित सूचना की प्राप्ति के बाद अर्थकार्य विभाग, बेल्जियम सरकार के विदेशी कार्य और विदेश व्यापार मंत्रालय को भारत स्थित उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख और संभरण किए जाने वाले माल के विवरण के साथ संविदा की एक प्रति अग्रसारित करेगा और पोतलदान प्रलेखों के विपरीत संभरकों को भुगतान के लिए बेल्जियम, राष्ट्रीय बैंक को प्राधिकृत करते हुए प्राधिकरण पत्र (अनुबन्ध 1 के रूप में) भी जारी करेगा ।

8. नेशनल बैंक आफ बेल्जियम ब्रूसेल्स से पोतलदान एवं अन्य दस्तावेजों की पावती के 10 दिनों के भीतर ही आयातक का बैंक नीचे की कंडिका 9 में यथा संकेतित संभरकों को भुगतान की गई धनराशि के समतुल्य रुपये को और इसके साथ आनुषंगिक और सुपुर्दगी प्रभारों को पूरा करने के लिए संभरक को अदा की गई धनराशि के 5 प्रतिशत नियत प्रभार को जिसकी गणना बेल्जियम संभरकों को भुगतान करने की तारीख को प्रचलित बी एफ एव रुपये के बीच परिवर्तित दर पर की जाएगी, को सरकार के लेखे में निक्षेप करने की व्यवस्था करेगा और इसके साथ बेल्जियम संभरकों को भुगतान करने की तारीख से रुपये जमा कराने की तारीख तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी जमा करेगा । इस प्रयोजनार्थ बी एफ भुगतान को सार्वजनिक

सूचना 15 आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-72 और सार्वजनिक सूचना संख्या 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21-7-72 में निहित अनुदेशों के अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा । इस परिवर्तन की दर में कोई संशोधन होने पर, जब और जैसे आवश्यक होगा, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया जाएगा । **इस बात का सुनिश्चय करने की आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि पार्टियों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशी सरकार के लेखे में सही रूप से जमा करा दी जाती है** । आयातक को इस बात का भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकर से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही सरकार के लेखे में धनराशि सही रूप से जमा करादी जाती है ।

9. कंडिका 8 में उल्लिखित निक्षेप सार्वजनिक सूचना संख्या 233 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 में यथा निर्धारित सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए या तो नकद में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली को या स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी दिल्ली को और या धनराशि को स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी दिल्ली-6 के अभिकर्ता के नाम में डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जा सकता है । निक्षेप किए जाने वाले लेखे का शीर्ष विस्तृत शीर्ष "डिपोजिट्स फार कास्ट आफ सप्लाइज एंड इक्विपमेंट आबटेन्ड अन्डर 8 बेल्जियम क्रेडिट फार 1973-74" के अन्तर्गत "टी डिपोजिट एंड एडवान्सेज-पार्ट 2 डिपोजिट्स नाट बेयरिंग इन्टरेस्टबायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर" है ।

रोजकोष चालान में निरपवाद रूप से निम्नलिखित ब्यौरे भेजे जाने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय का प्राधिकार संख्या एवं दिनांक.....बेल्जियम सरकार क्रेडिट, 1973-74 ।

(ख) विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में रुपया निक्षेप किया जाना है और इसके साथ अपनाई गई परिवर्तन की दर ।

(ग) विदेशी सभरकों को भुगतान की तारीख ।

(घ) अदा की गई धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है ।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि ।

(ब्याज की गणना सभरकों को भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने तक की अवधि के लिए की जानी है)

10. रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी, दिल्ली-6 के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट के प्रस्तुतीकरण के बारे में सूचना आयातकों के बैंक द्वारा सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक, वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 को भेजी जानी चाहिये और इसके साथ अग्रपरेषण पत्र भी भेजा जाना चाहिए जिसमें बेल्जियम नेशनल बैंक से प्राप्त परामर्श नोट के पूर्ण ब्यौरे दिए जाने चाहिएं ।

11. आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रुपये को केवल विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करावे और सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी प्राप्त करलें । रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्र भी उन्हें भर देना चाहिए ।

12. इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो भारत सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

13. आयात लाइसेंस से उत्पन्न या उससे सम्बन्धित किसी एक मामले और सभी मामलों तथा बी० एफ० 250 मिलियन के लिए 8 वें बेल्जियम क्रेडिट के अन्तर्गत सभी प्रकार के दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में समय समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अनुदेश, निदेश या आदेश का अनुपालन भारतीय आयातक शीघ्र ही करेगा ।

14. उपर्युक्त निर्धारित शर्तों को भंग करने या उनका उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

परिशिष्ट 2

बेल्जियन सरकार ऋण, 1973–74 के अन्तर्गत निजि क्षेत्र के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाने से सम्बन्धित शर्तें ।

1. लाइसेंस 12 महीने की वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा किन्तु पक्के आदेश लागत बीमा-भाड़ा/लागत भाड़ा के आधार पर बेल्जियम संभरकों को अवश्य दे दिए जाने चाहिएं और उनकी प्रतियां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग को आयात लाइसेंस के जारी किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर भेज दी जानी चाहिये । पक्के आदेश का तात्पर्य उन क्रय आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिए दिए गए हैं और जो परवर्ती से पुष्टिकरण द्वारा विधिवत् समर्थित है या क्रय संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित है । यदि पक्के आदेश 4 मास की सीमा-अवधि के भीतर नहीं पूरे किए जाते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आदेश देने में समय वृद्धि के लिए जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० सी० आई० एंड ई०) को या अन्य प्राधिकारियों को प्रस्ताव भेजे और इसके साथ में औचित्य और विवरण भेजे कि प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर आदेश देने का कार्य क्यों नहीं पूरा किया जा सका । आदेश देने के लिए अवधि वृद्धि के ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक और 2 मास तक की वृद्धि की स्वीकृति दे सकता है । लेकिन, यदि लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 मास से अधिक अवधि वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसा प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 शाखा), वित्त मंत्रालयको भेजा जाना चाहिए । लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में लाइसेंस कोड 'एस' और 'बीई' का संकेत होना चाहिए । रूपये जमा करते समय भारतीय बैंक को भेजने के लिये सभी पीतलदान प्रलेखों से सही लाइसेंस कोड के साथ साथ 'एस' प्रपत्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. इस ऋण के अन्तर्गत केवल बेल्जियम मूल के माल ही अर्थयुक्त किए जाने योग्य हैं ।

3. लाइसेंस भारत से प्रेषण के लिए वैध नहीं होगा । बेल्जियम संभरकों को भुगतान केवल नीचे की कंडिका 6-10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है ।

4. भारतीय आयातक और बेल्जियम संभरक के बीच संभरक की संविदा में यह व्यवस्था होना चाहिए कि आयात इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेल्जियम सरकार ऋण से अर्थयुक्त किए जाएं और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । संभरकों को इस शर्त की सूचना देते समय आयातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए और

संभरण संविदा में इस संबंध में एक धारा भी शामिल कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग की बिना पूर्व सहमति लिए रद्द नहीं किए जाने चाहिएं।

5. संविदा मूल्य को बेल्जियन फ्रैन्क में व्यक्त किया जाना चाहिए। पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर संविदा में सामान्यतः बेल्जियम सरकार ऋण से नकद भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। किसी प्रथागत गारंटी निष्पादन के लिए संभरक को बैंक गारंटी भेजने के लिए कहा जा सकता है।

6. संविदाओं से सम्पन्न होने के शीघ्र बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, डब्ल्यू. ई-3, अनुभाग को बेल्जियम संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकारण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें। इस आवेदन के साथ संभरण आदेश की छः फोटों स्टेट प्रमाणित प्रतियां भेजनी चाहिए। संविदा/संभरण आदेश के साथ निम्नलिखित सूचना भी अर्थकार्य विभाग को भेजनी चाहिए:—

1. आयात लाइसेंस का ब्यौरा :—
 (क) संख्या :.....
 (ख) जारी करने की तरीख.....
 (ग) मूल्य.....
2. आयातक का नाम और पता :.....
3. बेल्जियम संभरक का नाम और पता
4. बेल्जियम फ्रैन्क में संविदा आदेश सं०.....
5. आयातित किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण.....
6. माल छुड़ाई के लिए अवधि (संभरकों को भुगतान करने की संभावित तारीख और धनराशि का संकेत करने वाली एक अनुसूची भी दी जानी चाहिए)।
7. प्रत्येक प्रलेख की अपेक्षित प्रतियों के साथ पोतलदान का विस्तृत विवरण जैसे लदान पत्र बीजक, उद्गम का प्रमाण आदि की सूची जिसकी मांग भुगतान से पहले बेल्जियम सरकार को राष्ट्रीय बैंक को संभरकों से करनी चाहिए।
8. संविदा में शामिल किया गया भारतीय संभरक का यदि कोई कमीशन हो (जिसकी धनराशि या प्रतिशत का संकेत किया जाना चाहिए)
9. भारत में आयातक के बैंक का नाम.....
10. विशेष अनुदेश यदि कोई हो.....

7. संविदा संभरण आदेश की प्रतियों और उपर्युक्त कंडिका 6 में अपेक्षित सूचना की प्राप्ति के बाद अर्थकार्य विभाग, बेल्जियम सरकार के विदेशी कार्य और विदेश व्यापार मंत्रालय को भारत स्थित उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख और संभरण किए जाने वाले माल के विवरण के साथ संविदा की एक प्रति अग्रसारित करेगा और पोतलदान प्रलेखों के विपरीत संभरकों को भुगतान के लिए बेल्जियन, राष्ट्रीय बैंक को प्राधिकृत करते हुए प्राधिकरण पत्र (अनुबन्ध 1 के रूप में) भी जारी करेगा।

8. नेशनल बैंक आफ बेल्जियम ब्रूसेल्स से पोतलदान एवं अन्य दस्तावेजों की पावती के 10 दिनों के भीतर ही आयातक का बैंक नीचे की कंडिका 9 में यथा संकेतित संभरकों को भुगतान

की गई धनराशि के समतुल्य रूपये को और इसके साथ आनुषंगिक और सुपुर्दगी प्रभारों को पूरा करने के लिये संभरक को अदा की गई धनराशि के 5 प्रतिशत नियत प्रभार को जिसकी गणना बेल्जियम संभरकों को भुगतान करने की तारीख को प्रचलित बी एफ एवं रूपये के बीच परिवर्तित दर पर की जाएगी, तो सरकार के लेखे में निक्षेप करने की व्यवस्था करेगा और इसके साथ बेल्जियम संभरकों को भुगतान करने की तारीख से रूपये जमा कराने की तारीख तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी जमा करेगा। इस प्रयोजनार्थ बी एफ भुगतान को सार्वजनिक सूचना 15 आई टी सी (पीएन)। 72, दिनांक 28-1-72 और सार्वजनिक सूचना संख्या 19 आई टी सी (पी एन)। 72, दिनांक 21-7-72 में निहित अनुदेशों के अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा। इस परिवर्तन की दर में कोई संशोधन होने पर, जब और जैसे आवश्यक होगा, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने की आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि पार्टियों को आयात दस्तावेज सौंपने में पूर्व देय धनराशि सरकार के लेखे में सही रूप से जमा करा दी जाती है। आयातक को इस बात भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकर से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही सरकार के लेखे में धनराशि सही रुप से जमा कर दी जाती है।

9. कंडिका 8 में उल्लिखित निक्षेप सार्वजनिक सूचना संख्या : 233-आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 में यथा निर्धारित सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए या तो नकद में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली को या स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी दिल्ली को और या धनराशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी दिल्ली-6 के अभिकर्त्ता के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जा सकता है। निक्षेप किए जाने वाले लेखे का शीष विस्तृत शीर्ष 'डिपोजिट्स फार कास्ट आफ सप्लाइज एंड इक्विपमेंट आबटेन्ड अन्डर 8 बेल्जियम क्रेडिट फार 1973–74" के अन्तर्गत "टी डिपोजिट एंड एडवान्सेज-पार्ट 2 डिपोजिट्स नाट बेयरग इन्टरेस्ट-डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर" है।

रोजकोष चालान में निरपवाद रुप से निम्नलिखित ब्यौरे भेजे जाने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय का प्राधिकर संख्या : एंव दिनांक..... बेल्जियम सरकार क्रेडिट, 1973–74।

(ख) विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में रूपया निक्षेप किया जाना है और इसके साथ अपनाई गई परिवर्तन की दर।

(ग) विदेशी संभरकों को भुगतान की तारीख।

(घ) अदा की गई धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है।

(ङ०) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना संभरकों को भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रूपया जमा करने की अवधि के लिए की जानी है)

10. रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी, दिल्ली-6 के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट के प्रस्तुतीकरण के बारे में सूचना आयातकों के बैंक द्वारा सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली 110001 को भेजी जानी चाहिये और इसके साथ अग्रपरेषण पत्र भी भेजा जाना चाहिए जिसमें बेल्जियम नेशनल बैंक से प्राप्त परामर्श नोट के पूर्ण ब्यौरें दिए जाने चाहिए।

11. आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रूपये को केवल विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करावें और सार्वजनिक सूचना संख्या: 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी प्राप्त करलें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्र भी उन्हें भर देना चाहिए ।

12. लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों के पूर्ण हो जाने और आयातक के बैंक द्वारा सभी देय धनराशि को सरकार के लेखे में जमा करने के बाद, प्राप्त किए गए आयात और निक्षेप किए गए रुपये के ब्यौरे सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली-110001 को निर्धारित अनुबन्ध-3 में भेजे जाने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय जहां कहीं आवश्यक समझें, आयातकों द्वारा भेजी गई बैंक गारन्टी के सत्यापन एवं रिहाई की व्यवस्था कर सके । आयातक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह अनुबन्ध के रुप में उपयोगीकरण रिपोर्ट त्रमासिक रुप में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डबल्यू ई-3 अनुभाग तथा सहायता लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली-110001 को भेजे ।

13. इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो भारत सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

14. आयात लाइसेंस से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी एक मामले और सभी मामलों तथा बी० एफ० 250 मिलियन के लिए 8 वें बेल्जियम क्रेडिट के अन्तर्गत सभी प्रकार के दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में समय समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अनुदेश, निदेश या आदेश का अनुपालन भारतीय आयातक शीघ्र ही करेगा ।

15. उपर्युक्त निर्धारित शर्तों को भंग करने या उनका उलंघन करने पर, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध

संख्या.....

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
(अर्थ कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में,

नेशनल बैंक आफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स

भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच करार

दिनांक

.....के क्रेडिट के लिए बेल्जियम फ्रैन्क
प्राधिकार पत्र संख्या.....
.....

उपर्युक्त क्रेडिट करार की शर्तों के अनुसार हम लोग इसके द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि बी०एफ० की धनराशि.....(बेल्जियम फ्रैन्क.....(शब्दों में)
.....को संभरक/संभरकों के बैंक का नाम, जब भुगतान किया जाने

वाला है तब धनराशि के साथ संभरकों के बैंकों का नम्बर).....निम्नलिखित प्रलेखों की सुपुर्दगी के लिए अपरिवर्तनीय रूप से भुगतान कर दें :—

बीजक.....प्रतियां

लदान पत्र (पूर्ण विधरण के साथ)—प्रतियां

बीमा पालिसी, यदि कोई हो, आदि–प्रतियां, जिसमें बीजक का मूल्य.....
संख्या.....दिनांक भी शामिल हो ।
.....(भारतीय संभरक) के साथ.....का
संभरक के लिए संविदा संख्या.....दिनांक.....के
संबंध में (फोटो स्टेट कापी संलग्न है) ।

2. भुगतान के बाद उपर्युक्त प्रलेखों का मूल सेट (दो/तीन प्रतियों आदि में) को कृपया सीधे ही.....(भारत में आयातकों के बैंकों को अग्रसारित करें ।

3. चुकाई गई धनराशि को कृपया ऊपर उल्लखित क्रेडिट करार के रूप खोले गए खाते हमारे खाते पी संख्या..... के नामे और आवश्यक नामे परामर्श (दो प्रतियों) जो वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहायता (लेखा) शाखा, नई दिल्ली को इस प्राधिकार पत्र की संख्या को विधिवत् सकेतित करते हुए भेजा गया था में डालें ।

4. यह प्राधिकरण दिनांक.....वर्ष.....तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

(ओहदा)

प्रति.....(आयातक का नाम) को प्रेषित । उन्हें इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए समतुल्य रुपया जिसका परिकलन मिली जुली मिश्रित दर पर किया गया है जो चालू रूप में बी० एफ० 0.162 रुपये था और इस प्रकार की जो धनराशि आई थी उसका 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी इसके साथ ही साथ संभरकों को जिस तारीख को भुगतान किया गया है उस तारीख से लेकर सरकार के खाते में जमा की गई धनराशि की तारीख तक के लिए उस पर ब्याज भी आयातक को मूल प्रलेखों को देने से पूर्व जमा करा लिया गया है ।

अनुबन्ध 2

गारन्टी बांड

(बेल्जियम सरकार क्रेडिट, 1973–74 के अन्तर्गत माल का आयात करने के लिए प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिया जाना है)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले में (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया) बेल्जियम क्रेडिट 1973/74 की शर्तों के अन्तर्गत.....को (इसके बाद आयातक कहा गया)

उपर्युक्त करार के लिए आयातक के नाम में जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या :
.....दिनांक.....के अनुसरण में
.....के आयात के लिए बेल्जियम फ्रैंक में
भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम आयातक.....
के अनुरोध पर नेशनल बैंक आफ बेल्जियम द्वारा चुकाई गई धनराशि (बैंक) को जो विनिमय की वर्तमान मिली जुली परिवर्तित दर पर जिसकी समय समय पर सरकार द्वारा उस के मामले में जारी किए गए अनुदेशों पर गणना की गई है, भुगतान की सूचना की प्राप्ती के 10 दिन के भीतर विधि के अनुसार और उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत जैसा कि भारत सरकार उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत संकेतित है, सरकार लेखा में क्रेडिट के लिए जमा करने की व्यवस्था करने की एतद्द्वारा वचन देते हैं साथ ही आनुषंगिक और वचन बद्धता प्रभारों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त जमा के 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभारों और संभरक को भुगतान की गई धनराशि पर 6 प्रति सैकड़े वार्षिक ब्याज तथा सरकारी लेखा में क्रेडिट के लिए बेल्जियम संभरक को भुगतान की तारीख से समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी जमा करने का वचन देते हैं। नेशनल बैंक आफ बेल्जियम से प्राप्त आयात प्रलेखों में परक्राम्य सेट को आयातक को केवल ऊपर का अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया है, उसके बाद ही लौटाया जाएगा।

2. हम.....(बैंक), किसी प्रकार की बाकी धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकाने योग्य हो जैसा कि सरकार समय समय पर निदेश दे तो ऐसी धनराशि जो रुपये से अधिक नहीं तो या उसका कोई भाग जो थोड़े समय के लिए बाकी रह गया है और आयातक द्वारा देय है और इसके साथ ही आनुषंगिक और वचन बद्धता प्रभारों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त जमा के 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) का निश्चित अतिरिक्त प्रभारों को आयातक द्वारा भुगतान करने में त्रुटि पाई जाने पर हम क्षति पूर्ति करने का तथा सरकार को क्षति पूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने के लिए भी वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से.....बैंक द्वारा देय धनराशि के

(हमारे)

सम्बन्ध में कोई त्रुटि होने पर हमारे.....
बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3. हम.....(बैंक) आगे इस बात पर सहमत है कि यदि उपर्युक्त उल्लिखित कंडिका 1 में मुद्रा विनिमय की मिली जुली दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आयात के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इस गारंटी बांड की धनराशि का समायोजन उसी तिथि से तथा उसी अनुपात में कर दिया जाएगा, जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

4. हम.....(बैंक), आगे इस बात पर भी सहमत हैं कि जो गारंटी यहां अन्तर्विष्ट है उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इसकी हैसियत से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया चुका नहीं दी जाएगी और इसके दावों की संतुष्टि नहीं हो जाएगी या अदायगी नहीं कर दी जाएगी तब तक यह पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगी।

5. जो गारंटी यहां अन्तर्विष्ट है, उस पर आयातक या..... बैंक से संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन का इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को इस गारंटी को प्रभावित किए बिना अपने द्वारा आयातक के विरुद्ध किसी समय या समय-समय पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की और किसी ऐसी धनराशि का भुगतान जो इस गारंटी द्वारा आयातक से किया जाना है, आयातक पर लागू करने की स्वतंत्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या सरकार की ओर इसके द्वारा अनुग्रहपूर्वक आयातक के कोई अन्य धैर्य, कार्य या छूट या कोई मामला या वस्तु जो कानून में जमानतों सम्बद्ध कुछ भी हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार की यह स्वतंत्रता..... बैंक को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी, किन्तु इस व्यवस्था के लिए बैंक को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए प्रभाव डालेगी ।

6. हम..... ...(बैंक), यह वचन देते हैं कि सरकार की लिखित रूप में पूर्व सम्मति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

7. हम.....(बैंक), एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 तथा समय समय पर अन्य ऐसी जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त निक्षेप के लिए वचन देते हैं ।

8. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व पये (जिस पर ब्याज और कमीशन प्रभार यदि कोई हो, जिसकी उम्मीद दी गई गारंटी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबन्धित है और यह गारंटी.....दिन*..... (मास).....19.....तक लागू रहेगी जब तक इस तिथि से 6 मास के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत दावे लिखित रूप में पूरे नहीं किए जाते और जब तक अगले छह मास के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता या कार्यवाई प्रारम्भ नहीं की जाती । उसके बाद अर्थात्..... तक इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार अपरिवर्तित हो जाएंगे और हमें इस गारंटी के अन्तर्गत अपने दायित्वों से स्वतंत्रता और मुक्ति मिल जाएगी ।

.....दिन का दिनांक

कृते..... बैंक

श्री.....के द्वारा

(नाम और औहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से स्वीकृत

हस्ताक्षरित.....

*जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, यह तिथि उसमें एक माह जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी ।

टिप्पणी : जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे कलक्टर के द्वारा न्याय निर्णीत किया जाना है ।

अनुबंध 3

प्रपत्र

1. उस आयातक/लाइसेन्सधारी का नाम और पूरा पता जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी ।

2. आयात लाइसेन्स की संख्या और दिनांक और मूल्य

3. प्रस्तुत की गई गारन्टी की संख्या दिनांक और धनराशि

4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकार पत्र के ब्यौरे :—

 (क) प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

 (ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (बेलजियम फ्रैंक्स में)

5. किए गए आयातों और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे

 (क) संभरक (कों) का नाम

 (ख) उपर्युक्त (क) पर उल्लखित संभरक (कों) को वास्तव में चुकाई गई धनराशि (बेजियम फ्रैंक्स में)

 (ग) बेलजियम नेशनल बैंक द्वारा संभरक को भुगतान करने की तिथि

 (घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि :—

 (1) संभरक को चुकाई गई बेलजियम फ्रैंक धनराशि के बराबर रुपया बेलजियम फ्रैंक की दर से ।

 (2) चुकाया गया ब्याज

 (3) अवधि जिस के लिए ब्याज की गणना की गई.....
 से.....तक ।

 (4) किया गया कुल निक्षेप

 (5) निक्षेप करने की तिथि और स्थान

 (6) राजकोष चालन (संलग्न किए जाने वाले) की संख्या और दिनांक । यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो जिस पत्र के साथ भेजा गया उसकी संख्या और दिनांक उद्धृत किए जाएं ।

 (7) यदि उपर्युक्त (घ) (4) में उल्लखित रुपया डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और अपने उस पत्र का ब्यौरा निर्दिष्ट किया जाना है जिसके साथ ड्राफ्ट महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था ।

6. प्रत्येक प्राधिकार पत्र पर कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और कितनी धनराशि उपयोग किए बिना शेष रही (बेलजियम फ्रैंक्स में) ।

7. इस संबंध में एक प्रमाण पत्र कि उपर्युक्त 6 में निर्दिष्ट बिना उपयोग की गई शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और न उसका कोई पोतलदान ही किया गया है, और वह समाप्त की गई समझी जाए ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुबंध 4

अ ठवें बेलजियम क्रेडिट के अधीन उपयोग के संबंध में तिमाही सूचना को प्रदर्शित करने वाला पत्र

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेन्स की संख्या और दिनांक
3. आयात लाइसेन्स का मूल्य
4. प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक
5. प्राधिकार पत्र की धनराशि
6. प्राधिकार पत्र की वैधता का दिनांक
7. दिए गए आदेशों का मूल्य
8. तिम ही के दौर न उपयोग की गई धनराशि बै फें
9. उपयोग की गई कुल धनराशि बे० फें०
10. सरकारी लेखे में जमा की गई कुल धनराशि रु०
11. उत्तर कालीन तिमाहियों में किए जाने वाले प्रत्याशित भुगतान (आंकड़े दीजिये) (तिमाहीवार)
12. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI. 1974